UPCH010016032026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–689/2026

1. अन्तिम यादव उम्र 20 वर्ष पुत्र प्रेमचन्द्र यादव
2. गोविन्द यादव उम्र 26 वर्ष पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासीगण धौरही माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन

मु0अ0सं0–203/2025
धारा–115(2), 110, 352, 351(2) बी0एन0एस0
(पुरानी धारा 323, 308, 504, 506 भा0दं0सं0)
थाना–भरतकूप जनपद चित्रकूट।

20.07.2026 **निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र**

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्तिम यादव एवं गोविन्द यादव की ओर से मु0अ0सं0–203/2025 धारा–115(2), 110, 352, 351(2) बी0एन0एस0 (पुरानी धारा 323, 308, 504, 506 भा0दं0सं0) थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट में प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदनपत्र शपथपत्र 4ख से समर्थित है जिसके प्रस्तर 09 के अनुसार प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी श्रीमती गुड़िया की ओर से दिनॉक 05.12.2025 को थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनॉक 04.12.2025 को समय करीब शाम 04 बजे प्रार्थिया अपने बेटे व पति के साथ मिलकर मेला धौरही माफी में दुकान पर मौजूद थी, उसी समय ग्राम धौरही माफी के अन्तिम यादव पुत्र प्रेमचन्द्र यादव व गोविन्द यादव पुत्र प्रेमचन्द्र दुकान में जलेबी खाकर पानी मॉगने लगे। प्रार्थिया ने कहा कि पानी यहॉ नहीं है, इसी बात को लेकर दोनों लोग वादिनी के लड़के जितेन्द्र गुप्ता एवं श्रवण कुमार पुत्र छोटेलाल व उसे लाठी डण्डों से मारा है जिससे उसके लड़के व पति श्रवण कुमार के सिर पर गम्भीर चोटें आयी हैं तथा गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी, अतः प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.07.20 18:39:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाये।

3. आवेदकगण/अभियुक्त निर्दोष हैं, उन्होने कोई अपराध नहीं किया है तथा उनके द्वारा कोई मारपीट की घटना कारित नहीं की गयी है। धौरही स्थित मेले में काफी भीड़ की धक्का मुक्की के कारण किसी अन्य लोगों से विवाद हुआ था। मेला इत्यादि में इलाका पुलिस भी मौजूद रहती है। वादिया कुछ गॉव के विरोधियों के कहने व बहकावे में आकर अभियुक्तगण के विरूद्ध फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी है जबकि अभियुक्तगण कथित घटना में शामिल नहीं थे। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं बताया गया है। घायल जितेन्द्र व श्रवण के शरीर में चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार जो चोटें बतायी गयी हैं वह साधारण प्रकृति की हैं। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आक्षेपित अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय हैं। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करके उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने वादिनी, उसके लड़के एवं पति को दुकान में जलेबी खाने के बाद पानी मॉगने के विवाद को लेकर उनके साथ मारपीट की गयी है तथा सिर में गम्भीर चोटें पहुॅचायी गयी हैं। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केसडायरी एवं अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

6. अभियोजन अभिलेखों के अनुसार दिनॉक 04.12.2025 को समय करीब शाम 4 बजे वादिनी अपने बेटे व पति के साथ मिलकर धौरही माफी के मेला में दुकान पर थे और अभियुक्तगण दुकान में जलेबी खाकर पाने मॉगने लगे तो उन्होने कहा कि पानी यहॉ नहीं है जिसपर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी, उसके लड़के जितेन्द्र गुप्ता, पति श्रवण कुमार को लाठी डण्डों से सिर व शरीर में प्रहार कर चोटें पहुॅचाया जाना कहा गया है। केस डायरी के पर्चा नं0–4 में डॉ0 मनीष शुक्ला ने अपने बयान धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि मजरूब जितेन्द्र पुत्र श्रवण कुमार का प्राथमिक मेडिकल परीक्षण डॉ0 उमेश द्वारा किश गया था। उक्त डाक्टर उमेश द्वारा लम्बे अवकाश पर होने के कारण उक्त सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की

गयी। मेडिकल प्रपत्र व एक्सरे रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि मजरूब उपरोक्त की सभी चोटें साधारण प्रकृति की है। डॉ0 राजेन्द्र प्रताप रेडियोलाजिस्ट द्वारा अपने बयान में कथन किया है कि दिनॉक 30.12.2025 को उसके द्वारा मजरूब जितेन्द्र पुत्र श्रवण कुमार का मेडिकल परीक्षण किया गयाजिसमें मजरूब उपरोक्त को कोई फ्रैक्चर नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0बी0आई0 एवं अन्य (2022) 10 एससीसी 51 में सात साल तक की सजा से दण्डनीय अपराधों को कैटेगरी 'ए' में रखते हुए जमानत दिये जाने के दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभियोजन के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं चोटहिल की चोटों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण दोष पर बगैर विचार व्यक्त किये न्यायालय के मत में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्तिम यादव एवं गोविन्द यादव की ओर से मु0अ0सं0–203/2025 धारा–115(2), 110, 352, 351(2) बी0एन0एस0 (पुरानी धारा 323, 308, 504, 506 भा0दं0सं0) थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मु0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक–एक जमानत एवं इस आशय का अण्डरटेकिंग कि–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगें।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण दौरान विचारण साक्ष्य से छेड़छाड नहीं करेगें और साक्षीगण को भय अथवा किसी प्रलोभन से प्रभावित नहीं करेगें।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण नियत तिथि पर अनावश्यक स्थगन नहीं लेगें और आरोप विरचन एवं धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के बयान अंकित किये जाते समय न्यायालय में उपस्थित रहेगें।

दाखिल करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को मामले के विचारण की अवधि तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेगा।

दिनांकः 20.07.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड सं0–यू0पी05751